बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०– प्र०2/स्था०–02 प्रो०–02/2026 2408(S) पटना,दिनांक 30/3/26

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 द्वारा अधिसूचित **"अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023"** के प्रावधानोन्तर्गत उच्चतर पद का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार देने के बिन्दु पर विचारण हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 18.02.2026 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों के अधीन पथ निर्माण विभाग संवर्ग के निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनीय अभियंता (यांत्रिक) को पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान (वेतन स्तर–09) सहित सहायक अभियंता (यांत्रिक) का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है:–

क्र०सं०	नाम	मूल कोटि की वरीयता (वर्ष 2025)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	श्री उदय कुमार	1	

2. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रभावी रहने की स्थिति में वरीय कर्मी के आरोप मुक्त होने पर कनीय कर्मी, जिनको विहित वेतनमान् सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है, का कार्यकारी प्रभार तत्समय उपलब्ध रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में समाप्त करते हुए आरोप मुक्त कर्मी को विहित वेतनमान् सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाएगा।

3. (क) **संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक पूर्व धारित पद पर ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा पूर्व से धारित पद के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।**

(ख) **वैसे पदाधिकारी जो पूर्व से कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभार में हैं उन्हें अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन संबंधित उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना के विरूद्ध प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।**

4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर उन्हें प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।

5. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान् के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम् न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

6. उपरोक्त कार्रवाई अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, अतएव यह इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(सुमित वत्स)
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक– प्र०2/स्था०–02 प्रो०–02/2026 **पटना,दिनांक................**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक– प्र०2/स्था०–02 प्रो०–02/2026 **पटना,दिनांक................**

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक– प्र०2/स्था०–02 प्रो०–02/2026 **पटना,दिनांक................**

प्रतिलिपिः सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्यप्रबंधन), पथ निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ एवं यांत्रिक सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ एवं यांत्रिक सहित), पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ एवं यांत्रिक सहित), पथ निर्माण विभाग/निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना/लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक : प्र०2/स्था०–02 प्रो०–02/2026 **पटना,दिनांक ....**

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक– प्र०2/स्था०–02 प्रो०–02/2026 2409 (3) **पटना,दिनांक** 30/3/26

प्रतिलिपिः– IT Manager पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

30.03.26

अवर सचिव (प्र०को०)